बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि.प्रा.(III)ब[3] –14/2016–   /पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,

निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक गुलजारबाग, पटना–7/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम बजट "मुख्यशीर्ष –2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 105– बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष –0106– प्रमाण पत्र पाठ्क्रम" (विपत्र कोड– 43-2203001050106) के अधीन तृतीय किस्त का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1738, दिनांक 21.07.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्गत आवंटनादेश संख्या–07(आ), दिनांक 26.05.2017 एवं संख्या–27(आ), दिनांक 28.07.2017 के क्रम में राजकीय पोलिटेकनिक गुलजारबाग, पटना–7 एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना में स्कीम मद के अधीन सृजित पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन एवं भत्ते के नियमानुसार भुगतान हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते विषयशीर्षों में पुनर्विनियोग सहित उपबंधित राशि से कुल रू० 3,90,000=00 (तीन लाख नब्बे हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है–

विषय शीर्ष	राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग, पटना– 7	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना	कुल आवंटित राशि (राशि रूपये में)
1	2	3	4
01 01 वेतन	40000	81000	121000
01 03 जीवन यापन भत्ता	90000	120000	210000
01 04 मकान किराया भत्ता	10000	19000	29000
01 05 परिवहन भत्ता	0	30000	30000
योगः 01–वेतन	**140000**	**250000**	**390000**
	(क)	(ख)	(ग)

(क) एक लाख चालीस हजार रूपये मात्र।   (ख) दो लाख पचास हजार रूपये मात्र।

(ग) तीन लाख नब्बे हजार रूपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–428, दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा– निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

4. विभिन्न विषयीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षो के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी॰ भी॰ न॰ एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह॰/ –

(अतुल सिन्हा)
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)ब[3] –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
निदेशक

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III)ब[3] –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– राजकीय कोषागार, गुलजारबाग पटना/सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
निदेशक

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)ब[3] –14/2016– 92(अ॰) /पटना, दिनांक 9.3.2018

प्रतिलिपिः– उप निदेशक (यो॰)/ आई॰टी॰ मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.03.18
निदेशक
8/3